डा0 एपी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश

सेक्टर–11 जानकीपुरम विस्तार, लखनऊ–226031

पत्रांकः ए0के0टी0यू0 / यूपीसीईटी–2021 / 1043 दिनांक 30 अक्टूबर, 2021

सेवा में,

निदेशक / प्राचार्य
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध
समस्त संस्थान।

विषयः– यूपीसीईटी–2021 की काउंसिलिंग से आवंटित विभिन्न पाठ्यक्रमों की सीटों पर टी0एफ0डबलू0 कोटे में प्रवेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

ऐसा संज्ञान में आया है कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित करने वाले कतिपय संस्थान यूपीसीईटी–2021 की काउंसिलिंग से आवंटित टी0एफ0डबलू0 सहित अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का सीटों पर प्रवेश लेने से मना कर रहे है ।

उक्त के कम में विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि यूपीसीईटी–2021 की काउंसिलिंग से टी0एफ0डबलू0 सहित अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त धनराशि की मॉग संस्थाओं द्वारा की जा रही है, जो विश्वविद्यालय के नियम विरूद्ध है।

अतः समस्त संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि यूपीसीईटी–2021 की काउंसिलिंग से आवंटित टी0एफ0डबलू0 सहित अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रवेश की कार्यवाही का अनुपालन न करने की दशा में संस्था के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने की बाध्यता होगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वंय संस्था का होगा।

(नन्द लाल सिंह)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. समन्वयक, प्रवेश परीक्षा एवं काउन्सिलिंग–2021
2. उप कुलसचिव, ए0के0टी0यू0 लखनऊ।
3. सम्बद्धता विभाग, ए0के0टी0यू0 लखनऊ।
4. जन सम्पर्क अधिकारी, ए0के0टी0यू0 लखनऊ।
5. स्टाफ आफीसर, ए0के0टी0यू0 लखनऊ को मा0 कुलपति महोदय के सूचनार्थ।

(नन्द लाल सिंह)
कुलसचिव

Office latter-2021